न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00378

भोली बाई पत्नी स्व0 श्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी ग्राम चाणदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. अंकित कुमार आत्मज स्व0 श्री रामरतन जाति मीना निवासी ग्राम चाणदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ईटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चाणदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल 04 किता की रकबा 8.99 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में भवानीशंकर का 1/2 हिस्सा जिनकी निःसन्तान अवस्था में ही दिनांक 12.01.2013 को मृत्यु हो चुकी है । वादी के पिता एवं स्वर्गीय भवानीशंकर सगे भाई थे । वादी के पिता की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है । वादी अपने पिता की एकमात्र संतान है । भंवानीशंकर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.09.2011 को साक्षीगण की उपस्थिति में वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी उक्त वसीयत के आधार पर

वादी मृतक भंवानीशंकर के हिस्से की आराजी का खातेदार हो गया है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह भवानीशंकर के हिस्से की भूमि को वसीयत के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे । वादग्रस्त आराजी में भवानीशंकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी क्रम 01 उक्त भूमि पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करती है तथा उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित करने एवं खुर्द–बुर्द करने की धमकी देती है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मृतक भंवानीशंकर व उनकी पत्नी अपीलान्ट भोली बाई से अलग निवास करता था इस कारण उसके द्वारा भवानीशंकर व उनकी पत्नी की देखभाल करना व सेवा सुश्रूषा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । मृतक भवानीशंकर की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट उनकी पत्नी बहैसियत उनकी वारिस काबिज काश्त चली आ रही है । भवानीशंकर ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कोई वसीयत आलेखित नहीं की है । तथाकथित वसीयत पूर्णतया कूटरचित व बनावटी है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथाकथित वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं कराया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथाकथित वसीयत की वैधानिकता के सम्बन्ध में निर्णय पारित किये बिना ही तथा कोई फाईडिंग दिये बिना ही बिना किसी आधार व प्रमाण के वादी को वादग्रस्त आराजी में भवानीशंकर के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.08.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई । उससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 29.08.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायंक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चाणदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल 04 किता की 8.99 हैक्टर स्थित है । उक्त आराजी में भवानी शंकर के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी में भवानीशंकर जो कि अपीलान्ट के पति हैं 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं । रेस्पोडेन्ट भवानी शंकर और अपीलान्ट से अलग निवास करता है । उनके द्वारा कभी भी भवानीशंकार एवं अपीलान्ट की सेवा सुश्रूषा नहीं की है । भवानीशंकर अपने जीवनकाल में अपने 1/2 हिस्से पर काबिज रहे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट इस पर काबिज काश्त हैं । भवानी शंकर ने कभी भी अपने जीवनकाल में किसी आराजी के बाबत् वसीयत निष्पादित नहीं की है। वसीयत कूटरचित है । वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया है । वसीयत की वैधानिकता के बारे में निर्णय किये बिना दावा वादी डिक्री किया है । अपीलान्ट के विधवा एवं अनपढ होने का नाजायत फायदा उठाकर अपीलान्ट को गुमराह कर कुछ कागजों पर रेस्पोडेन्ट ने निशानी अंगूठा लगवा लिये । इकबाली जवाबदावा पेश करवा दिया । अपीलान्ट ने कभी भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है। अपीलान्ट की विधि सम्मत रूप से तलबी नहीं करवायी गई है । प्रथम पेशी पर ही अपीलान्ट के द्वारा वकालतनामा और जवाबदावा पेश किया गया है । जब दावे में अंकित किया गया है कि भवानीशंकर के हिस्से को लेकर विवाद है तो फिर इकबाली जवाब कैसे पेश हो सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब के समुचित कारण नहीं बताये हैं । जवाबदावे पर निशानी अंगूठा अपीलान्ट का है । जब तक जवाबदावे में संशोधन नहीं हो जाता तब तक अपीलान्ट को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाबदावे में संशोधन नहीं किया है । अगर वो धोखे की बात करते हैं तो उसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है उनके द्वारा कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की गई है । वकील के विरूद्ध भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है । धारा 05 के प्रार्थनापत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । चूँकि जवाबदावे में वसीयत को माना है इसलिए इसको प्रमाणित करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है । सीपीसी के आदेश 12 नियम 06 में किये गये संशोधन के अनुसार प्रतिवादी के द्वारा एडमिशन की स्थिति में निर्णय पारित किया जा सकता है । पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं जिसमें महिलाओं को सम्पत्ति में सीमित अधिकार होते हैं । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2014 (1) सीडीआर (एससी) पेज 81, 2014 (1) सीडीआर पेज 100, आरआरटी 2016 (2) पेज 1110, आरआरटी 2008 (2) पेज 1408, डीएनजे 2014 (1) (राज0) पेज 405, आरआरडी 2018 (1) पेज 188, आरआरडी 1999 पेज 152, डीएनजे 2013 (एससी)

पेज 513, एआईआर 2010 (एससी) पेज 2077, आरएलडब्ल्यू 2003 (3) पेज 1891 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब के शमन पर आपत्ति की है और कथन किया है कि विलम्ब के लिए शमन के लिए अपीलान्ट ने पर्याप्त कारण नहीं बताये हैं । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2014 (1) सीडीआर (एससी) पेज 81, 2014 (1) सीडीआर पेज 100, आरआरटी 2016 (2) पेज 1110, आरआरटी 2008 (2) पेज 1408, डीएनजे 2014 (1) (राज0) पेज 405, आरआरडी 2018 (1) पेज 188, आरआरडी 1999 पेज 152 उद्धरत की ।

11. अपीलान्ट विधवा और अशिक्षित महिला है एवं ग्रामीण परिवेश की है । उनका यह कथन है कि उनको सम्मन की तामील नहीं करवायी गई है और धोखे से कुछ कागजात पर उनके हस्ताक्षर करवे गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो दस्तावेजात को न्यायालय से प्रदर्शित करवाया गया है और न ही वादी एवं उसके गवाहों ने जो शपथ पत्र पेश किये हैं उनकी ताईद न्यायालय में उपस्थित होकर करवायी गई है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उसके मामले में मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । साथ ही अपीलान्ट विधवा और अशिक्षित महिला है ऐसी स्थिति में उदारतापूर्वक रूख रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। आरआरडी 1998 में माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड किया है कि विलम्ब का प्रश्न तय करते समय गुणावगुण पर ही विचार किया जाना चाहिए । डीएनजे 2016 पेज 204 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह होल्ड किया गया है कि विलम्ब के शमन पर विचार करते समय गुणावगुण पर विचार करना चाहिए यदि अवैध आदेश पारित किया गया है तो विलम्ब का शमन उदारतापूर्वक करना चाहिए । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अपीलान्ट ने कथन किया है कि इकबाली जवाबदावे पर धोखे से उनकी अंगूठा निशानी करवायी गई है । इस क्रम में अपीलान्ट फौजदारी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वसीयत की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है वरन् फोटो प्रति पेश की गई है और गवाह के रूप में वादी और मुकेश के शपथ पत्र पेश किये गये हैं परन्तु इन शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है जो कि सीपीसी के प्रावधानों की पालना में अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निणर्य पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा